

उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली
2005 (संशोधित, 2012)



वन विभाग उत्तराखण्ड

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या-705 / X-2-2005-20(1) / 2005 देहरादून : दिनांक 23,
जनवरी, 2006

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

संख्या-705 / X-2-2005-20(1) / 2005 देहरादून : दिनांक 23,
जनवरी, 2006

विज्ञप्ति

राज्य, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 76 के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में विद्यमान विज्ञप्ति संख्या-3155 / 1-व०ग्रा०वि० / 2001-8 (15) / 2001, दिनांक 3-7-2001 (उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली, 2001) तथा अधिसूचना संख्या-7807 / 1-व०ग्रा०वि० / 2001-10 (5) / 2001, दिनांक 26-12-2001 (उत्तराखण्ड ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 2001) का अतिक्रमण करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली 2005

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (क) यह नियमावली उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली 2005 कही जायेगी।
- (ख) यह नियमावली सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।
- (ग) यह सरकारी गजट में इसके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ

जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-

- (क) 'अधिनियम' का अर्थ उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) से है।
- (ख) 'जिलाधिकारी' से तात्पर्य जनपद के कलेक्टर से है जिसमें राज्य सरकार द्वारा जनपद के कलेक्टर के अधीन इस निमित्त कार्य करने के लिए नियुक्त अन्य अधिकारी सम्मिलित हैं।
- (ग) 'आयुक्त' जिलाधिकारी, 'परगना मजिस्ट्रेट', 'पटवारी', 'वन संरक्षक',

‘प्रभागीय वनाधिकारी’, ‘उप प्रभागीय वनाधिकारी’ / सहायक वन संरक्षक, ‘वन क्षेत्राधिकारी’, उप वन क्षेत्राधिकारी, ‘वन दरोगा

(‘फारेस्टर’), ‘वन आरक्षी’, (वन रक्षक), ‘सरपंच’ एवं ‘वन पंचायत प्रबन्धन समिति के सदस्य’ का तात्पर्य क्रमशः किसी ऐसे पदधारक से है, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत ‘ग्राम वन’ / ‘पंचायती वन’ पड़ता हो।

- (घ) सरपंच का तात्पर्य ग्राम स्तर पर गठित संचालन समिति के अध्यक्ष से है।
- (ङ) ‘क्षेत्रीय समन्वयक’ तथा ‘जिला समन्वय’ का तात्पर्य क्रमशः क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले प्रबन्ध समितियों के सरपंचों द्वारा तथा जनपद स्तर पर जिला परामर्शदात्री समिति के क्षेत्रीय समन्वयकों के द्वारा चयनित ऐसे पदधारकों से है।
- (च) ‘संहत प्रबन्धन योजना’ का तात्पर्य ऐसी योजना से है जो प्रभागीय वनाधिकारी की अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम वनों / पंचायती वनों के लिये वन वर्धन एवं निरन्तर विकास के सिद्धान्त पर 5 वर्ष के लिये बनायी गयी हो यह योजना एकल अभिलेख के रूप में दो या अधिक खण्डों में होगी और इसमें ग्राम वनों / पंचायती वनों का सामान्य विवरण तथा सूक्ष्म योजना को बनाने तथा किसी ग्राम वन की सुरक्षा तथा प्रबन्धन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त होंगे।
- (छ) ‘वन अधिकारी’, ‘वन अपराध’, ‘वन उपज’, ‘पशु’ तथा ‘वृक्ष’ के वही अर्थ होंगे जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 में उनके लिये दिये गये हैं।
- (ज) ‘पंचायती वन (ग्राम वन) प्रबन्धन समिति’ अथवा ‘वन पंचायत’, जिसे आगे प्रबन्ध समिति कहा गया है, का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन ग्राम वन के प्रबन्धन के लिये गठित प्रबन्धन समिति से है और इनमें वे ग्राम पंचायती वन भी सम्मिलित हैं जो इस नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व पंचायत वन नियमावली, 1931 अथवा वन पंचायत नियमावली, 1976 अथवा उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली, 2001 के अन्तर्गत गठित हैं अथवा भविष्य में गठित होंगे।
- (झ) ‘माइक्रोप्लान’ (सूक्ष्म परियोजना) का तात्पर्य किसी एक ग्राम वन / पंचायती वन के लिए पांच वर्षों के लिए बनाई गयी योजना से है।
- (ट) ‘वार्षिक कार्यान्वयन योजना’ का तात्पर्य उस कार्यकारी योजना से है जो ग्राम वन / पंचायती वन की सूक्ष्म परियोजना के अनुसार एक वर्ष के लिए बनाई गई हो।
- (ठ) ‘पंचायती वन’ का तात्पर्य इस नियमावली के लागू होने की तिथि को किसी पंचायती वन के वर्तमान क्षेत्र से है जिसमें इस नियमावली के अधीन इस रूप में यथाविधि पूर्व नियमावलियों में गठित क्षेत्र

(नगरपालिका या नगरपालिका की सीमा के बाहर) भी सम्मिलित है, और इसका वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 28 के उपधारा (9) में शब्द 'ग्राम वन' से है, जिन्हें वर्तमान नियमावली में आगे ग्राम वन/पंचायती वन कहा गया है।

- (ड) 'अधिकारधारी' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो कि उस ग्राम का भूमिधर हो जहां ऐसे ग्राम वन का गठन किया गया हो या ऐसा व्यक्ति हो जिसे किसी कानून या न्यायालय के आदेशों के अधीन ग्राम वन/पंचायती वन में पशु चराने, चारा, ईंधन लकड़ी एकत्र करने का अधिकार प्राप्त हो। इसमें वह भूमिहीन व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो उस ग्राम में लगातार 10 वर्ष से रहता आ रहा हो जहां ऐसे ग्राम वनों का गठन किया गया हो।
- (ढ) 'राज्य सरकार' से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य सरकार से है।
- (ण) ग्राम का तात्पर्य ऐसे ग्राम से है जो उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 31 (जो उत्तराखण्ड में प्रवृत्त है) के अधीन रखी गयी सूची में दर्शित ग्राम से है और इसमें ऐसा ग्राम सम्मिलित है जिसकी सीमाओं का सीमांकन उस अधिनियम के अनुसार किये गये राजस्व बन्दोबस्त के अधीन किया गया हो।
- (त) 'आम सभा' का तात्पर्य धारा (4) और (5) के अधीन ग्राम वन/पंचायती वनों का सीमांकन हो जाने पर परगना मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राम के वयस्क निवासियों को किसी सुविधाजनक स्थान पर इकट्ठा होने को कहे जाने पर इस प्रकार एकत्रित व्यक्तियों के समूह से है।
- (थ) 'स्वयं सहायता समूह' / 'वन उपयोगकर्ता समूह' का तात्पर्य आम सभा के उस सदस्य से है, जो सामूहिक रूप से वनों के प्रबन्धन एवं विकास में रुचि रखते हों एवं संबन्धित वन पंचायत में पाये जाने वाले वन उपज पर जीवन यापन हेतु निर्भर हों। किसी भी परिवार के एक से अधिक सदस्यों को इस समूह में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (द) 'वयस्क' का तात्पर्य 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्ति से है।
- (ध) 'परिवार' का अर्थ ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज सदस्यों के नाम से होगा।
- (न) 'ग्राम वन निधि' / 'पंचायती वन निधि' का तात्पर्य 28 के अन्तर्गत प्रबन्धन समिति द्वारा विभिन्न श्रोतों से प्राप्त आय से है।
- (प) 'ग्राम सभा' एवं 'प्रधान' के वही अर्थ होंगे, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट, 1947 (जो उत्तराखण्ड में प्रवृत्त है) में उनके लिए दिये गये हैं।

3. ग्राम वन (पंचायती वन) का गठन

ग्राम वन (पंचायती वन) का गठन कराने हेतु आवेदन की प्रक्रिया— कम

से कम ग्राम के पंच भाग वयस्क निवासियों, जो सम्बन्धित राजस्व ग्राम के निवासी हों, जिसमें ग्राम की सीमावर्ती वह भूमि भी सम्मिलित होगी जो आरक्षित वन गठित हो या संरक्षित वन घोषित हो या सरकार का वन हो, द्वारा आवेदन देने पर या सम्बन्धित ग्राम सभा के द्वारा बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित करने पर, सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट वन विभाग की संस्तुति से इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

परन्तु किसी भूमि को ग्राम वन घोषित नहीं किया जायेगा यदि ग्राम या ग्रामों के, जिनकी सीमा उक्त क्षेत्र में पड़ती है, आधे या उससे अधिक निवासी योजना के सम्बन्ध में आपत्ति करें। आवेदन पत्र में प्रार्थित क्षेत्र की स्थिति तथा सीमाएं भी यथासम्भव स्पष्ट की जायेगी।

4. प्रार्थित क्षेत्र के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना और दावा तथा आपत्तियों की सुनवाई

नियम-3 के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर परगना मजिस्ट्रेट सम्बन्धित ग्राम में नोटिस तामील करायेगा तथा व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक रूप से डुगडुगी पिटवायेगा तथा इसकी प्रति सम्बन्धित ग्राम तथा आसन्न ग्रामों और वन बन्दोबस्त में जिन ग्रामों को उक्त वन क्षेत्रों से अधिक सुविधायें प्राप्त हो, के किसी सार्वजनिक स्थल पर चिपकायेगा। नोटिस में प्रार्थित क्षेत्र की स्थिति और सीमायें तथा प्रयोजन जिसके लिये वह अपेक्षित हो, विनिर्दिष्ट होगा और उसमें वह दिनांक इंगित होगी जब तक आवेदन पत्र के सम्बन्ध में दावा एवं आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत की जानी चाहिये और उसमें वह दिनांक भी इंगित होगी जब दावों तथा आपत्तियों की सुनवायी की जायेगी।

5. दावों/आपत्तियों पर विनिश्चय, ग्राम वनों/पंचायती वनों का सीमांकन और विनिश्चय के विरुद्ध अपील।

(क) इस प्रकार निश्चित दिनांक को या किसी अनुवर्ती दिनांक को, जब तक के लिये कार्यवाहियां स्थगित की जाय, परगना मजिस्ट्रेट दावों और आपत्तियों की, यदि कोई हो, सुनवायी करेगा तथा उन पर विनिश्चय करेगा। अगर सीमा के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो वह सरसरी तौर पर निर्णय दे सकता है और इस निर्णय के आधार पर प्रस्तावित ग्राम वन/पंचायती वन के सीमांकन की कार्यवाही कर सकता है। वह आवेदन पत्र को अंशतः या पूर्णतः स्वीकार कर सकता है और ऐसी शर्त विहित कर सकता है जिन पर उसे स्वीकार किया जायेगा। यदि वह पूर्णतः या अंशतः आवेदन पत्र अस्वीकार कर दे तो वह उसके लिये कारणों को अभिलिखित करेगा। आरक्षित वन क्षेत्र के सम्बन्ध में बिना राज्य सरकार की अनुमति के आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ख) नियम-5 उपधारा (क) के अन्तर्गत दिये गये निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति निर्णय के 30 दिनों के अन्दर कलैक्टर को अपील कर सकता है और कलैक्टर इस अपील पर अपना निश्चय शीघ्रातिशीघ्र देगा।

6.(अ)उपयोगकर्ता के अधिकार

उन ग्राम वनों/पंचायती वनों में जो आरक्षित वनों से बने हैं केवल उन व्यक्तियों को, जिनके अधिकार ऐसे अधिकारों की सूचियों में अभिलिखित हों, उपयोगकर्ताओं के अधिकार अनुमन्य होंगे। यह अधिकार उन भूमिहीन व्यक्तियों जो उन ग्राम में लगातार 10 वर्षों से रहते आ रहे हों को भी देय होंगे, जहां ऐसे ग्राम वनों/पंचायती वनों का गठन किया गया है।

6(ब) उपयोगकर्ता के कर्तव्य

जिन उपयोगकर्ताओं को धारा-6(अ) के तहत अधिकारों का उपयोग देय है, के कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

- 1 सम्बन्धित ग्राम वन में अग्नि दुर्घटना होने पर उसके शमन हेतु सहयोग देना होगा।
- 2 सम्बन्धित ग्राम वन में किसी भी प्रकार के वन अपराध यथा-अतिक्रमण, अवैध चरायी अथवा अवैध पातन होने पर उक्त की सूचना प्रबन्ध समिति को अविलम्ब देनी होगी।
- 3 सम्बन्धित ग्राम वन में पूर्व से स्थापित अथवा प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये रोपण कार्यों की सुरक्षा हेतु सहयोग दिया जाना।

7. आमसभा एवं प्रबन्धन समिति का गठन

- 1(क) जब धारा (4) और (5) के अधीन ग्राम/वन का सीमांकन हो जाये परगना मजिस्ट्रेट ग्राम के वयस्क निवासियों को किसी सुविधाजनक स्थान पर इकट्ठा होने को कहेगा और इस प्रकार एकत्रित व्यक्तियों का समूह आम सभा कहलायेगी। यह सभा एक स्वयं सहायता समूह (वन उपयोगकर्ता) के रूप में कार्य करेगी। आम सभा प्रबन्धन समिति का गठन परगना अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये गये अधिकारी की उपस्थिति में करेगी।

इस सम्बन्ध में एक लिखित नोटिस सम्बन्धित पटवारी और सम्बन्धित ग्राम सभा के प्रधान पर भी तामील होगा। प्रबन्धन समिति में नौ सदस्य होंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि एक परिवार से एक ही सदस्य इस हेतु पात्र होगा। चार स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे जिनमें से एक सदस्या अनुसूचित जाति या जनजाति की होगी। बचे हुए पांच स्थानों में एक स्थान अनुसूचित जाति या जनजाति के पुरुष के लिये आरक्षित

होगा। अगर सम्बन्धित ग्राम में अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य नहीं रहते हों तो उक्त स्थान अनारक्षित समझे जायेंगे। प्रबन्ध समिति का गठन यथा संभव सर्व सम्मति से किया जायेगा। अगर यह संभव न हो तो निर्दिष्ट अधिकारी की उपस्थिति में हाथ उठाकर बहुमत से किया जायेगा।

(ख) प्रदेश में वन पंचायत सरपंचों के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। नियम-7 (1) (क) अनुसार प्रबन्धन समिति का यथाविधि गठन हो जाये तो वह अपने में से बहुमत द्वारा सरपंच का चयन करेंगे, सरपंच के 50 प्रतिशत पद पर महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में गठित प्रत्येक वन पंचायत प्रबन्धन समिति में एक बार महिला तथा एक बार पुरुष सरपंचों का चयन किया जायेगा। सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत गठित/पुनर्गठित होने वाली वन पंचायतों में महिला व पुरुष सरपंच के चयन का रोस्टर अभिलिखित कर सम्बन्धित ग्राम में प्रचारित करेगा। गठन प्रक्रिया समाप्त होने पर उप जिलाधिकारी सदस्यों एवं सरपंच के नाम वन पंचायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और उनके हस्ताक्षर उक्त रजिस्टर में प्राप्त करेगा।

(ग) कोई भी राजकीय सेवक अथवा स्थानीय निकाय/पंचायत राज/प्रबन्धन समिति का कर्मचारी अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ग्राम वन/पंचायती वन की देय धनराशि बकाया हो और वे व्यक्ति जो नैतिक पतन सम्बन्धित दण्डात्मक अपराध के लिए दोष सिद्ध हों तथा जो किसी भी वन अधिनियम अथवा वन्य जीवन अधिनियम के अन्तर्गत दोष दर्ज हों समिति के सदस्य या सरपंच के रूप में चयन के लिये पात्र न होंगे।

(घ) कोई सरपंच एक मय में लगातार दो कार्यकाल से अधिक अवधि के लिए सरपंच के रूप में चयन के लिये पात्र न होगा।

8. चुनाव पुनपरीक्षण एवं अपील

(क) किसी सदस्य के चयन से व्यथित ग्राम में निवास करने वाला या कोई अधिकारधारी या सरपंच के चयन से असंतुष्ट कोई भी सदस्य चयन की तिथि के 30 दिनों के भीतर परगना मजिस्ट्रेट को कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। परगना मजिस्ट्रेट ऐसे प्रार्थना पत्र का यथासम्भव 30 दिनों के अन्तर निस्तारण करेगा।

(ख) उक्त नियम (क) के अन्तर्गत दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति

*उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण, टंकभण्डार-2 की विज्ञप्ति/अधिसूचना संख्या 278(2)/1-2-2012-20(1)/2005 दिनांक 17 सितम्बर 2012 के क्रम में संशोधन।

आदेश की तिथि के 30 दिनों के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है और कलेक्टर ऐसी अपील का यथासम्भव 30 दिनों के भीतर निस्तारण करेगा।

9. प्रबन्धन समिति के गठन की घोषणा

परगना मजिस्ट्रेट समिति के विधिवत गठन की अंतिम घोषणा के साथ ही आम सभा के व्यक्तियों, सरपंच एवं प्रबन्धन समिति के सदस्यों के नाम भी सूचित करेगा।

10. ग्राम वन (पंचायती वन) एवं प्रबन्धन समिति के गठन की सूचना

परगना मजिस्ट्रेट इस नियमावली के अन्तर्गत आम सभा, ग्राम वन/पंचायती वन एवं प्रबन्धन समिति के गठन की सूचना सम्बन्धित आयुक्त, वन संरक्षक, कलेक्टर एवं प्रभागीय वनाधिकारी को देगा।

11. संहत प्रबन्धयोजना

प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम वनों/पंचायती वनों के लिये पांच वर्ष की अवधि के लिये एक संहत प्रबन्ध योजना बनायेगा। संहत प्रबन्धन योजना में वन पंचायतों को ग्राम पंचायतों से जोड़ने बावत वन क्षेत्रों में वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण कार्यों को भी समाहित किया जायेगा और इसे सम्बन्धित वन संरक्षक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा एवं वन संरक्षक बिना संशोधन के अथवा संशोधन सहित 60 दिनों के अन्दर अपना अनुमोदन देगा।

12. माइक्रोप्लान

प्रबन्धन समिति के लिए यह आवश्यक होगा कि संहत प्रबन्धन योजना में दिये गये निर्देशों के अनुसार ग्राम वन की सुरक्षा एवं प्रबन्धन हेतु सम्बन्धित उपराजिक/वन दरोगा अथवा वन रक्षक जैसी भी प्रशासनिक सुविधा हो, की सहायता से पांच वर्षों की अवधि हेतु एक माइक्रोप्लान बनाये, जिसमें अधिकार धारियों की आवश्यकतायें एवं क्षेत्र के पारिस्थितिकी सन्तुलन सुनिश्चित किये जाने को ध्यान में रखा जायेगा। सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत किये जाने से पूर्व सूक्ष्म योजना को सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अधिकारधारियों/स्वयं सहायता समूह (वन उपयोगकर्ता) की आम सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। समिति का यह कर्तव्य होगा कि अंतिम रूप से स्वीकृत की गई सूक्ष्म योजना के प्राविधानों का कठोरता से पालन करें।

*उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण, टंकभण्डार-2 की विज्ञप्ति/अधिसूचना संख्या 278(2)/1-2-2012-20(1)/2005 दिनांक 17 सितम्बर 2012 के क्रम में संशोधन।

13. वार्षिक कार्यान्वयन योजना

प्रतिवर्ष प्रबन्धन समिति वन दरोगा/वन रक्षक की सहायता से तथा स्वीकृत माइक्रोप्लान के प्राविधानों के अधीन ग्राम वन के प्रबन्धन एवं विकास हेतु वार्षिक कार्यान्वयन योजना बनायेगी और इसका अनुमोदन वन क्षेत्राधिकारी से एक सितम्बर तक करा लेगी। ऐसा कर लेने के पश्चात इस वार्षिक कार्यान्वयन योजना के प्राविधान लागू हो जायेंगे।

14. प्रबन्धन समिति द्वारा कार्य किया जाना

वार्षिक कार्यान्वयन योजना के वन क्षेत्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात समिति का कार्य करना प्रारम्भ हो जायेगा।

15. प्रबन्धन समिति के सरपंच और सदस्यों का कार्यकाल

(क) सरपंच और सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और प्रबन्धन समिति को किसी आकस्मिक रिक्तियों को अवशेष अवधि हेतु धारा 7 से 9 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप भरने का अधिकार होगा।

(ख) पूर्व में प्रख्यापित नियमावलियों में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत गठित वन पंचायत तथा वर्तमान नियमावली के अन्तर्गत गठित प्रबन्धन समिति का कार्यकाल समाप्त होने जैसी भी स्थिति हो, के कम से कम छः माह पूर्व ही परगना मजिस्ट्रेट द्वारा प्रबन्धन समिति के गठन हेतु चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जायेगी एवं इसकी सूचना सम्बन्धित कलेक्टर एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को दी जायेगी।

(ग) यदि किसी अपरिहार्य कारण से प्रबन्धन समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाये और नयी प्रबन्धन समिति का गठन ना हो सके तो कलेक्टर को उक्त प्रबन्धन समिति का कार्यकाल 6 मास हेतु बढ़ाने की शक्ति होगी और कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त विस्तारित अवधि के प्रथम 3 मास के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति के गठन हेतु चुनाव की पूर्ण तैयारी शुरू कर दी है और प्रत्येक दशा में विस्तारित अवधि में ही प्रबन्धन समिति का गठन हो जाये।

16. प्रबन्धन समिति की बैठक एवम् उसकी कार्यवाही

(क) प्रबन्धन समिति की प्रत्येक माह में एक बैठक नियमित/निश्चित तिथि पर की जायेगी। बैठक की कार्यवाहियां एक रजिस्टर में हिन्दी में अभिलिखित की जायेंगी और इसकी एक प्रतिलिपि बैठक में तुरन्त बाद वन क्षेत्राधिकारी को दी जायेगी।

परन्तु सरपंच द्वारा कोई आपातित बैठक या तो स्वयं अथवा प्रबन्धन

*उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण, टंकभण्डान-2 की विज्ञापित/अधिसूचना संख्या 278(2)/1-2-2012-20(1)/2005 दिनांक 17 सितम्बर 2012 के क्रम में संशोधन।

समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों के अधियाचन पर कम से कम एक दिन पूर्व नोटिस देने के पश्चात किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

- (ख) प्रबन्धन समिति के सभी निश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जायेंगे।
- (ग) प्रबन्धन समिति की ग 1पूर्ति पांच सदस्यों की उपस्थिति से होगी। जिसके अन्तर्गत सरपंच या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी है।
- (घ) उप वन राजिक, वन दरोगा या/एवम, वन रक्षक प्रबन्धन समिति की बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, पर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
- (ङ) वन रक्षक/वन दरोगा/उप राजिक प्रबन्धन समिति का सचिव होगा और सचिव को उसके कर्तव्यों में सहयोग देने हेतु ग्राम वन/पंचायती वन का कोई अधिकारधारी जिसका चयन प्रबन्धन समिति की सभा में प्रस्ताव पारित करके किया गया हो अपर सचिव होगा।
- (च) सरपंच का यह कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में दो बार विशेष रूप से अप्रैल तथा अक्टूबर में आम सभा की एक बैठक आहूत करें जिसमें सभा के समस्त व्यक्तियों को ग्राम वन/पंचायती वन के विकास, कार्य तथा राजस्व के बारे में जानकारी दी जायेगी एवं चर्चा करायी जायेगी। बैठक की कार्यवाही वन क्षेत्राधिकारी को भेजी जायेगी। अधिकारधारियों से यह अपेक्षा होगी कि वे अपने सुझावों/समस्याओं को आम सभा में बतायें और ग्राम वन के विकास के लिए अपने सुझाव भी, यदि कोई हों, देंगे।

17. अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपंच और सदस्य का हटाया जाना

- (क) यदि प्रबन्धन समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के द्वारा परगना मजिस्ट्रेट को लिखित रूप से अग्रिम सूचना देकर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा प्रबन्धन समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाये तो प्रबन्धन समिति के सरपंच को उनके पद से हटाया जा सकता है।
- (ख) यदि प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य को अधिकांश सदस्य हटाना आवश्यक समझें तो सरपंच इस तथ्य की सूचना परगना मजिस्ट्रेट को देगा। परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अधिकारी उस ग्राम में जायेगा और मत देने के लिए हकदार व्यक्तियों की इच्छाओं को मालूम करेगा और तदनुसार कार्यवाही करेगा। यदि सदस्य हटा दिया जाय तो परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अधिकारी इस प्रकार हटाये गये सदस्य

*उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण, टर्नमन्तन-2 की विज्ञापित/अधिसूचना संख्या 278(2)/1-2-2012-20(1)/2005 दिनांक 17 सितम्बर 2012 के क्रम में संशोधन।

के कार्यकाल के असमाप्त भाग के लिए एकत्र आम सभा के सदस्यों को बुलाकर तुरन्त एक नया सदस्य चयनित करवाकर सूचना परगना मजिस्ट्रेट को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

- (ग) आम सभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सरपंच या प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकेगी। ऐसे प्रस्ताव की लिखित सूचना आम सभा के कम से कम पंच भाग द्वारा आम सभा की बैठक आहूत करने से कम से कम 15 दिन पूर्व परगना मजिस्ट्रेट को दी जायेगी। परगना मजिस्ट्रेट अथवा उसका नामित अधिकारी उस ग्राम में जायेगा और मत देने के लिए हकदार व्यक्तियों की इच्छाओं को मालूम करेगा और तदनुसार कार्यवाही करेगा। यदि सरपंच/सदस्य हटा दिया जाय तो परगना मजिस्ट्रेट इस प्रकार हटाये गये सरपंच/सदस्य के कार्यकाल के असमाप्त भाग के लिए 17(ख) में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करेगा।

18. वन उपज का समुपयोजन एवं उपयोग।

- (क) ग्राम वन/पंचायती वन से किसी वन उपज का समुपयोजन माईक्रोप्लान के प्राविधानों की सीमा तक किया जायेगा और जब तक ग्राम वन/पंचायती वन द्वारा क्षेत्र की परिस्थितिकीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित नहीं की जायेगी तब तक किसी वन उपज का समुपयोजन नहीं किया जायेगा।
- (ख) अधिकारधारियों के स्थापित रूढ़ि द्वारा प्राप्त समस्त अधिकार जैसे गिरे पड़े ईंधन को एकत्र करना, वृक्षों की शाखा कर्तन, घास की कटाई आदि माईक्रोप्लान के प्राविधानों के अधीन शासित होते रहेंगे।
- (ग) प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्वानुमोदन के पश्चात एवम् उपधारा (क) एवम् (ख) के अधीन आवश्यकताएं पूर्ण होने के पश्चात प्रबन्धन समिति प्रस्ताव पारित कर अधिकारधारियों के वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु या स्थानीय कुटीर उद्योग या ग्रामीण उद्योग या सामुदायिक उपयोग हेतु वन उपज का निस्तारण कर सकती है।
- (घ) उपधारा (क), (ख) और (ग) के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात अगर प्रबन्धन समिति यह अनुभव करती है कि उनके वन में वाणिज्यिक बिक्री हेतु समुपयोजन वृक्ष या अन्य उपज है तो वह वन क्षेत्राधिकारी को आवेदन करेगा जो उसका आवेदन मूल्य के अनुमान एवम् अपनी टिप्पणी तथा सिफारिशों के साथ प्रभागीय वनाधिकारी के पास आदेश हेतु भेजेगा जिसके प्राप्त होने के पश्चात वृक्षों या अन्य वन उपज के दोहन तथा नीलामी के द्वारा बिक्री के सम्बन्ध में बिक्री की कार्यवाही सहायक वन संरक्षक/उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी।

(ड) उपधारा (घ) के प्राविधानों के अधीन विशेष परिस्थितियों में सरपंच वन संरक्षक के द्वारा जारी किये अनुसूचित दरों पर अधिकारधारियों के अत्यन्त आवश्यक सार्वजनिक उपयोग अथवा घरेलू उपयोग हेतु एक वृक्ष की बिक्री की स्वीकृति दे सकता है।

बशर्त :-

- (1) अनुमोदन का प्रस्ताव वन पंचायत की बैठक में पारित हुआ हो तथा विक्रय से पूर्व प्रबन्धन समिति के आधे से अधिक सदस्यों से लिखित रूप से सहमति प्राप्त कर ली गयी हो।
- (2) सरपंच के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ऐसे वृक्ष के पातन के पहले अपनी प्रबन्ध समिति के चिन्हक (मार्किंग हैमर) से उसे चिन्हित करें।

(19) प्रबन्धन समिति के कर्तव्य

अपने क्षेत्राधिकार में प्रबन्ध समिति के कर्तव्य निम्नवत् होंगे :-

- (क) ग्राम वन/पंचायती वन हेतु पांच वर्षों के लिए माईक्रोप्लान एवम् वार्षिक क्रियान्वयन योजना बनाना तथा उसे अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु क्रमशः वन क्षेत्राधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत करना।
- (ख) वृक्षों को क्षति पहुंचाये जाने से रोकना और उन्हीं वृक्षों को उपयोग में लाना जो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी द्वारा वनवर्धन की दृष्टि से पातन के लिये चिन्हित किये गये हों।
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि ग्राम वन/पंचायती वन क्षेत्र में किसी भूमि पर अतिक्रमण न हो।
- (घ) सीमा स्तम्भ लगाना, सीमा दीवाल बनाना और उनकी सुरक्षा करना।
- (ड) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वनों के संरक्षण और सुधार हेतु दिये निर्देशों और कार्यकारी आदेशों का पालन करना।
- (च) अधिकारधारियों के सर्वोत्तम लाभ हेतु ग्राम वन/पंचायती वन के वनवर्धनीय स्वास्थ्य एवं सतत् संसाधन प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए। वन उपज का उपयोग करना।
- (छ) वृक्षों के अवैध पातन, शाखाकर्तन, अग्नि या अन्य प्रकार की क्षति से वनों को बचाना तथा इनका संरक्षण करना।
- (ज) यह सुनिश्चित करना कि जल स्रोतों के जलागम क्षेत्र उपयुक्त वृक्ष एवं वानस्पतिक आवरण से ढके रहें ताकि वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण हो।
- (झ) वनाग्नि प्रबन्धन एवं नियंत्रित चुगान, जिसमें कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्र चराई हेतु प्रतिवर्ष चक्रीय रूप से बन्द रहे, के द्वारा प्राकृतिक

पुनर्जनन को बढ़ावा देना।

(त्र) वन्य जीवन का संरक्षण सुनिश्चित करना।

20. प्रबन्धन समिति के अधिकार

प्रबन्धन समिति की प्रास्थिति वन अधिकारी की होगी और वह सौंपे गये क्षेत्र के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(क) ग्राम वन/पंचायती वन के भीतर किये गये वन अपराधों की प्रकृति के अनुसार प्रतिकर के रूप में प्रत्येक अलग-अलग अपराध हेतु 500 रु. की (सीमा तक) राशि तक शमन करना।

परन्तु यदि अपराधी मामले का शमन करने को तैयार हो तो प्रबन्धन समिति इस नियम में विनिर्दिष्ट प्रतिकर के अतिरिक्त अपराध के अन्तर्गत सम्पत्ति का पूरा बाजार मूल्य, जैसा कि प्रभागीय वनाधिकारी/सम्बन्धित वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा विहित अनसूचित दर पर निर्धारित किया जाये, वसूल करेगी।

(ख) इन नियमावली के अन्तर्गत उठने वाले दावों के सम्बन्ध में वाद तथा कार्यवाहियों को संस्थित करना एवं उनका प्रतिवाद करना।

(ग) ग्राम वनों/पंचायती वनों के अन्दर ढोरों के चराई एवं प्रवेश को नियमित करना।

(घ) ग्राम वनों/पंचायती वनों में अतिचार करने वाले पशु को पशुअतिचार अधिनियम 1871 के अनुसार रोक रखना।

(ङ) किसी व्यक्ति को जिसे प्रबन्धन समिति पर्याप्त कारण से क्षेत्र में आग लगाने या क्षति होने के लिये जिम्मेदार समझें या जो प्रबन्धन समिति को प्रदत्त शक्ति के अनुरूप प्रबन्धन समिति द्वारा दिये गये आदेशों का उल्लंघन करे, ग्राम वन/पंचायती वन के किसी या सभी विशेषाधिकार से अपवर्जित करना।

(च) ग्राम वन/पंचायती वन क्षेत्र के अन्तर्गत वन अपराध करने में प्रयुक्त सभी औजारों एवं हथियारों को अभिग्रहित करना।

(छ) वन को हानि पहुँचाये बिना वन उपज की स्थानीय बिक्री करना और चराई और घास कटाई के लिये या गिरी हुई जलाने की लकड़ी को एकत्रित करने के लिये अगर आवश्यक हो तो प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्वानुमोदन के साथ अनुज्ञा पत्र जारी करना और फीस लेना जो अधिकारधारियों के वास्तविक उपयोग हेतु होगा परन्तु चराई घास, कटाई या जलोनी लकड़ी एकत्रित करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी की आज्ञा आवश्यक नहीं होगी।

(ज) उत्तर प्रदेश लीसा एवं अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम,

1976 (जो उत्तराखण्ड में प्रवृत्त है) के प्राविधानों के अधीन लीसा का छेवन तथा बिक्री करना।

- (झ) प्रबन्धन समिति स्वयं सहायता समूह या वन उपयोगकर्ता सदस्य से समूह के रूप में अथवा एकल सदस्य (जैसी भी स्थिति हो), से अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत वन ग्राम वनों के समुचित प्रबन्धन, संवर्धन, सुरक्षा, विकास को दृष्टिगत रखते हुए आम सभा से अनुमोदन प्राप्त कर अनुबन्ध कर सकेगी।

21. उपविधियां बनाने की शक्ति

प्रबन्धन समिति वन उपज का उसके अधिकारधारियों के बीच वितरण करने, चुगान को विनियमित करने, घास काटने और ईंधन की लकड़ी एकत्र करने, अपने प्रशासकीय व्यय को पूरा करने के लिए फीस लेने और इस नियमावली से संगत किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपविधियां बना सकती है। उपविधियां आम सभा द्वारा दी गई सहमति के पश्चात सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुमोदित करने पर ही प्रभावी होंगी।

22. कर्मचारियों की नियुक्ति

प्रबन्धन समिति/वन पंचायत ऐसे वैतनिक कर्मचारियों, जो आवश्यक समझे जायें, की नियुक्ति संविदा पर इस प्रतिबन्ध के साथ कर सकती है कि ग्राम वन/पंचायती वन निधि में ऐसे कर्मचारियों के भुगतान हेतु सतत रूप से धनराशि उपलब्ध हो। इन्हें कार्य से हटाने की शक्ति भी संबंधित वन पंचायत/प्रबंधन समिति को होगी।

23. रजिस्ट्रों एवं अभिलेखों का रख रखाव

प्रत्येक प्रबन्धन समिति ऐसे पंजियों तथा अभिलेखों को ऐसी अवधि के लिये अद्यतन रखेगी जो राज्य सरकार या जिलाधिकारी या प्रभागीय वनाधिकारी या सूक्ष्म योजना/परियोजना द्वारा विहित की जायें।

24. प्रबन्धन समिति के कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन

- (1) प्रबन्धन समिति पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यों का एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल के पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत करेगी जो अपने क्षेत्र की संकलित रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्रबन्धन समिति की वार्षिक रिपोर्ट यथा स्थिति उप वनराजिक या वन दरोगा के द्वारा तैयार की जायेगी, और इसमें निम्नलिखित सूचनायें होंगी।

- (i) विवरण पत्र जिसमें ग्राम वन/पंचायती वन निधियों के उपयोग का विवरण दिया गया हो।
- (ii) विवरण पत्र जिसमें मांग तथा वसूली का विवरण दिया गया हो।

- (iii) विवर 1 पत्र जिसमें आय और व्यय का विवर 1 दिया गया हो।
- (iv) विवर 1 पत्र जिसमें वर्ष के दौरान किये गये उपयोग, पातन (चाहे वे वाणिज्यिक प्रयोग के लिये हो अथवा अधिकारधारियों और स्थानीय ग्रामवासियों के वास्तविक घरेलू प्रयोग के लिये हों), वनवर्धन और पुनरोत्पादन तथा पुनराप्ति सम्बन्धी अन्य कार्य का विवरण दिया गया हो। विवरण पत्र में यह बात विशेष रूप से दी जानी चाहिए कि माईक्रोप्लान में कौन से कार्य विहित किये गये थे एवं उन कार्यों को करने के लिये वास्तव में क्या किया गया।

(v) अन्य कोई महत्वपूर्ण विषय।

(2) प्रबन्धन समिति अपने कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष एक प्रस्तुतीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत की खुली सभा में रखेगी।

25. सरपंच का कर्तव्य

(1) जब तक किसी युक्तियुक्त कारण से असमर्थ न हो, सरपंच का निम्नलिखित कर्तव्य होगा।

(क) प्रबन्धन समिति की सभी बैठकों को बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना।

(ख) कार्य पर नियंत्रण रखना और उसे संचालित करना तथा व्यवस्था बनाये रखना।

(ग) प्रबन्धन समिति की वित्त व्यवस्था की देखभाल करना और उसके प्रशासन का अधीक्षण करना तथा उसमें पाई किसी त्रुटि को उसकी जानकारी में लाना।

(घ) प्रबन्धन समिति द्वारा रखे कर्मचारी वर्ग तथा अधिष्ठान का अधीक्षण व नियंत्रण करना।

(ङ) प्रबन्धन समिति के संकल्पों को कार्यान्वित करना।

(च) नियमों के विहित विभिन्न रजिस्ट्रों को रखने की व्यवस्था करना और प्रबन्धन समिति की ओर से सभी पत्र व्यवहार करना।

(छ) प्रबन्धन समिति की ओर से दीवानीवाद संस्थित करना और अभियोग चलाना।

(ज) अपनी अनुपस्थिति में सरपंच के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्रबन्धन समिति के किसी एक सदस्य को लिखित रूप से नाम निर्दिष्ट करना।

(2) सरपंच प्रबन्धन समिति के नाम के साथ ढाली हुई सरपंच की मोहर प्रबन्धन समिति के दो अन्य सदस्यों की उपस्थिति में ही प्रयोग करेगा जो अपनी उपस्थिति की पुष्टि में हस्ताक्षर भी करेंगे।

- (3) उप नियम (1) ख ष (ज) के अधीन सरपंच द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य सरपंच की अनुपस्थिति में उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे नियमावली के अधीन प्रदत्त या सौंपे गये हैं। यदि सरपंच ऐसा कोई नाम निर्देशन करने में असफल रहे हों तो ग्राम वन समिति के सदस्य बैठक के समय उपस्थिति सदस्यों में से किसी एक सदस्य को बैठक की कार्यवाही का संचालन करने के लिये सरपंच के रूप में चुन सकते हैं।
- (4) इस नियमावली के अधीन सरपंच को सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये सरपंच को प्रबन्धन समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में ग्राम वन-पंचायती वन निधि से एक हजार रूपये तक व्यय करने और इस सीमा तक अग्रिम धनराशि का आहरण करने की शक्ति होगी।

26. सरपंच का त्यागपत्र

किसी प्रबन्धन समिति का सरपंच पद त्याग करने हेतु अपना लिखित त्यागपत्र जिस पर उसका हस्ताक्षर हो और जो स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, परगना मजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत रूप से दे सकता है या उसके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज सकता है और त्यागपत्र स्वीकार कर लिये जाने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा।

27. सरपंच के पद का कार्यभार सौंपना एवम् कार्यभार ग्रहण करना

जब कहीं भी सरपंच का कार्यभार सौंपा जाये, सभी अभिलेखों, निधियों और सम्पत्ति की एक सूची तैयार की जायेगी और कार्यभार सौंपने एवम् ग्रहण करने वाले व्यक्ति सूची के ठीक होने के प्रतीक स्वरूप उस पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों व्यक्तियों द्वारा यथाविधित हस्ताक्षरित इस सूची की प्रतिलिपि कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारियों को दी जायेगी। यदि किसी अभिलेख, निधि या सम्पत्ति के संबंध में कोई विवाद हो तो दोनों व्यक्तियों को कार्यभार सूची के अन्त में अपनी अभ्युक्ति लिखने का अधिकार होगा।

28. ग्राम वन निधि / पंचायती वन निधि

- (1) प्रत्येक प्रबन्धन समिति के लिये एक ग्राम वन / पंचायती वन निधि की स्थापना की जायेगी और निम्न स्रोतों से प्राप्त आय उसमें जमा की जायेगी।
- 1 वन उपज के विक्रय से प्राप्त धनराशि।
 - 2 सरकारी अनुदान।
 - 3 अन्य किसी स्रोतों से प्राप्त राजस्व।
- पूर्व नियमावलियों के अन्तर्गत प्रबन्धन हेतु गठित समिति / निकाय के प्रतिभाग की कलेक्टरों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त धनराशि बिना किसी विलम्ब के प्रबन्धन समिति के नाम पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक में बचत खाता खोलकर जमा की जायेगी और इनका संचालन सरपंच और ग्राम वन / पंचायती वन के सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
- (2) बैंक के सभी आहरण प्रबन्धन समिति के पूर्वानुमोदन से किया जायेगा और अधिकारधारियों को अगली आम सभा में आहरित धनराशि और उपगत व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) व्यय उपगत करने और लेखे की प्रक्रिया समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगी।

29. ग्राम वन निधि / पंचायती वन निधि का प्रबन्ध

- (1) प्रबन्धन समिति के द्वारा ग्राम वन निधि का प्रबन्ध प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशन में किया जायेगा।
- (2) प्रबन्धन समिति को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान सरपंच या सचिव द्वारा इस हेतु अधित किसी सदस्य को किया जायेगा और धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा इसके लिये रसीद फार्म संख्या-2 में प्राप्ति रसीद दी जायेगी।
- (3) सरपंच द्वारा समीपस्थ पोस्ट आफिस, राष्ट्रीय बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक में प्रबन्धन समिति के नाम से चैक सुविधा युक्त खाता खोला जायेगा। यह खाता सरपंच द्वारा संचालित होगा। समस्त आहरण चैक के माध्यम से होंगे, जो प्रबन्धन समिति के सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।

30. वन उपज से प्राप्त शुद्ध आय का अवधारण, वितरण और उपयोग

- (1) लीसा एवं अन्य वन उपज से प्राप्त शुद्ध आय का अवधारण निम्नवत

होगा :-

- (क) वन विभाग लीसा निकालने में होने वाले वास्तविक व्यय तथा ऐसे उपरिव्यय को जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जाये, लेगा।
- (ख) अन्य वन उपज के सम्बन्ध में वन विभाग विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत प्रशासकीय व्यय के रूप में लेगा।
- (2) शुद्ध आय जो लीसा तथा अन्य वन उपज की बिक्री से अवधारित की जाये और अन्य मदों जैसे प्रतिकर की धनराशि और फीस इत्यादि से हो ग्राम वन/पंचायती वन निधि में जमा की जायेगी और उसका वितरण तथा उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :-
- (क) विकास प्रयोजनों अर्थात् सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये ग्राम पंचायत को 30 प्रतिशत,
- (ख) प्रबन्धन समिति द्वारा ग्राम वन विकास एवं अनुरक्षण के लिए 40 प्रतिशत,
- (ग) प्रबन्धन समिति द्वारा स्थानीय उपयोगिता की योजनाओं एवं अनुरक्षण के लिए 30 प्रतिशत, इन व्ययों का प्रस्ताव आम सभा की वार्षिक बैठक में योजना के स्वरूप में पारित होगा।
- (3) 500 रुपये से अधिक धनराशि का भुगतान प्रबन्धन समिति के सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा जारी किये गये चैकों द्वारा किया जायेगा।

30(ए) वृक्षारोप । रोजगार योजना (प्लान्ट, मेन्टेन, अ ि) के अन्तर्गत आय का वितर । एवं उपयोग :-

नियम 20(झ) में प्रबन्धन समिति को प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह या वन उपयोगकर्ता सदस्य से समूह के रूप में अथवा एकल सदस्य से अनुबन्ध होने की दशा में आय का वितरण निम्न प्रकार होगा:-

- (क) वन उपज से प्राप्त आय का 15 प्रतिशत ग्राम पंचायत को।
- (ख) वन उपज से प्राप्त आय का 15 प्रतिशत ग्राम वन के विकास हेतु ग्राम वन निधि में रखा जायेगा।
- (ग) वन उपज से प्राप्त आय का 70 प्रतिशत समूह के सदस्यों अथवा सदस्य, जैसा भी अनुबन्ध में उल्लिखित हो।
ऐसी पंचायती वन (ग्रामवन) जिनमें एक से अधिक राजस्व/ग्राम पंचायत सम्मिलित हों, को समयानुपातिक अनुपात से 15 प्रतिशत की धनराशि वितरित की जायेगी।

31. वार्षिक बजट

प्रत्येक प्रबन्धन समिति 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये अपनी आय और व्यय का वार्षिक अनुमान (जिसे आगे वार्षिक बजट कहा गया) तैयार करेगी और उसे पारित करेगी तथा अपने दायित्वों का निवर्हन करने के लिए अपनी वार्षिक आय में से निधियां प्रविष्ट करेगी। वार्षिक बजट की एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पास स्वीकृति हेतु भेजी जायेगी जो उसमें उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे परिवर्तन कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे। वार्षिक बजट सम्बद्ध वर्ष के पूर्ववर्ती 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किया जायेगा और प्रभागीय वनाधिकारी अपनी स्वीकृति अनुवर्ती 31 मार्च तक देदेगा।

32. वार्षिक बजट में उपान्तर और परिवर्तन

कोई प्रबन्धन समिति वार्षिक बजट लागू हो जाने के पश्चात किसी समय संकल्प पारित करके उसमें उपान्तर हेतु सुझाव दे सकती है। सरपंच इस संकल्प की एक प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी को भेजेगा जो वार्षिक बजट में या उपान्तर या परिवर्तन कर सकता है।

33. लेखा

सरपंच द्वारा प्रबन्धन समिति के सभी प्रकार के आय एवम् व्यय का लेखा रखा जायेगा। हर माह के अन्त में लेखा बन्द किया जायेगा और उसकी रोकड़ बाकी निकाली जायेगी और प्रबन्धन समिति द्वारा आगामी मास की बैठक में उसका परीक्षण किया जायेगा तथा उसे पारित किया जायेगा।

34. लेखों की परीक्षा

(1) प्रत्येक प्रबन्धन समिति के लेखों की परीक्षा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवम् पंचायतें उत्तराखण्ड के आदेशों के अधीन ऐसे अन्तरालों पर तथा ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे। लेखा परीक्षा के निमित्त प्रबन्धन समिति का अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सरपंच उत्तरदायी होगा।

(2) उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तीन अधिकारधारियों का नामांकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आन्तरिक लेखा परीक्षण हेतु किया जायेगा

और ऐसी लेखा परीक्षण आख्या प्रभागीय वनाधिकारी को अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

35. लेखा परीक्षा सम्बन्धी आपत्तियों का निस्तार ।

लेखा परीक्षा सम्बन्धी आपत्तियां प्राप्त होने के एक माह के भीतर सरपंच द्वारा बुलाई गयी प्रबन्धन समिति की विशेष बैठक में उन पर विचार किया जायेगा और उनके सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही विनिश्चित की जायेगी। जो कार्यवाही करने का विनिश्चय किया गया हो तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विस्तृत उत्तरालेख यथाशीघ्र प्रभागीय वनाधिकारी को संसूचित किया जायेगा एवं इसकी एक प्रति निरीक्षण अधिकारी के लिये रखी जायेगी।

36. गबन की सूचना

जब कभी सरपंच या किसी अन्य अधिकारी को ग्राम वन निधि की धनराशि के गबन का पता चले तो ऐसे गबन के तथ्यों की सूचना तुरन्त प्रबन्धन समिति एवं प्रभागीय वनाधिकारी के संज्ञान में लायी जायेगी जो तुरन्त इसकी सूचना जिलाधिकारी को देगा।

37. धनराशि के गबन की जांच

जिलाधिकारी नियम-36 के अन्तर्गत गबन के बारे में सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त जांच करायेगा।

38. सदस्य या सरपंच का निलम्बन

जहां प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य अथवा सरपंच के विरुद्ध कोई जांच अपेक्षित हो या की जा रही हो वहां जिलाधिकारी जांच के सम्बन्ध में प्रबन्धन समिति के ऐसे सदस्य अथवा सरपंच को निलम्बित कर सकता है और उसे यह आदेश दे सकता है कि उक्त समिति के अभिलेख, धनराशि या कोई अन्य सम्पत्ति उसके द्वारा इस निमित्त किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप दे।

39. प्रबन्धन समिति के सदस्य या सरपंच का हटाया जाना

जिलाधिकारी स्वयं या कोई शिकायत प्राप्त होने पर ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह स्वयं या किसी परगना मजिस्ट्रेट से अनिम्न श्रेणी के माध्यम से करना उचित समझे, किसी समय प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य या सरपंच को हटा सकता है यदि :-

- (i) वह कार्य करने से इन्कार करे अथवा किसी कारणवश कार्य करने में आयेग्य हो जाय अथवा नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो।

- (ii) उसने पद का दुरुपयोग किया हो अथवा इस नियमावली के द्वारा आरोपित कर्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक हो।
- (iii) वह किसी वन अपराध में दोषी पाया जाय।
- (iv) वह प्रबन्धन समिति की बैठक में दुर्व्यवहार करे या शारीरिक बल का प्रयोग करे।
- (v) वह इन नियमों के अन्तर्गत कोई अयोग्यता अर्जित कर ले।
- (vi) बिना किसी पर्याप्त कारण के प्रबन्धन समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे।

परन्तु प्रबन्धन समिति का कोई सदस्य या सरपंच तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे यह कारण बताने का अवसर न दिया जाये कि क्यों न उसे उसके पद से हटा दिया जाये।

- 40. नियम 38 एवं 30 के अन्तर्गत दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील**
नियम 38 एवम् 39 के अन्तर्गत दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से 30 दिनों के भीतर आयुक्त को अपील कर सकता है।
- 41. सरपंच के पद का कार्यभार सौंपना**
त्यागपत्र हटाये जाने या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर या निलम्बन की स्थिति में अगर कोई सरपंच के पद का त्याग करता है तो वह जिलाधिकारी द्वारा इस हेतु नामित प्रबन्धन समिति के सदस्य को अपना कार्यभार सौंपेगा।
- 42. अस्थायी सरपंच का नाम निर्देशन**
जहां प्रबन्ध समिति के सरपंच को निलम्बित कर दिया जाए या सरपंच का पद किसी अन्य कारण से खाली हो जाए, तो जिलाधिकारी लिखित रूप से प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य को अस्थायी सरपंच नाम निर्दिष्ट कर सकता है और वह सरपंच के पुनर्स्थापन या नये सरपंच के निर्वाचन तक निवर्हन करेगा। सरपंच का पद खाली होने के 6 माह के भीतर नये सरपंच का चयन कर दिया जायेगा।
- 43. प्रबन्धन समिति का निलम्बन, अतिक्रमण या विघटन**
जिलाधिकारी किसी प्रबन्धन समिति को निलम्बित कर सकता है, उसका अतिक्रमण कर सकता है या उसे विघटित कर सकता है यदि उसकी राय में ऐसी प्रबन्धन समिति अपनी स्थिति का दुरुपयोग करती है अथवा वह इस नियमावली के अधीन उस पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करने में असावधानी पायी जाय या यदि उसका बना रहना लोकहित में वांछनीय न समझा जाये।

- 44. नियम 43 के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील**
नियम 43 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा दिया गया आदेश आयुक्त के द्वारा पुनरीक्षण, यदि कोई हो, पर पारित आदेश के अधीन होगा। पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की अवधि जिलाधिकारी द्वारा किये गये आदेश के दिनांक से 30 दिन होगी।
- 45. प्रबन्धन समिति का अस्थाई प्रबन्धन**
जब कोई प्रबन्धन समिति विघटित, निलम्बित या अतिक्रमित कर दी जाये तब नयी प्रबन्धन समिति के पुनर्गठन होने तक के लिये ग्राम वन के अस्थायी प्रबन्धन हेतु जिलाधिकारी किसी अधिकारी को जो उप प्रभागीय वनाधिकारी से निम्न न होगा, को नियुक्त कर सकता है।
- 46. प्रबन्धन समिति का पुर्नगठन**
जिलाधिकारी के लिये यह अनिवार्य होगा कि नियम संख्या-43 के अन्तर्गत प्रबन्धन समिति के अतिक्रमण या विघटित होने की तिथि के 6 माह के भीतर नई प्रबन्धन समिति का पुर्नगठन करें।
- 47. प्रबन्धन समिति के देयों की वसूली**
प्रबन्धन समिति के देयों की वसूली अधिनियम की धारा 82 के अधीन भू राजस्व की बकाय के रूप में की जा सकती है।
- 48. प्रबन्धन समिति की व्यय पर वन विभाग द्वारा वन विकास कार्य का निष्पादन**
यदि कोई प्रबन्धन समिति आवश्यक निधि होने पर भी प्रवृत्त संहत योजना द्वारा विहित कोई वन विकास कार्य नहीं करती है तो प्रभागीय वनाधिकारी, उसे प्रबन्धन समिति के व्यय पर करा सकता है।
- 49. प्रबन्धन समिति द्वारा पारित संकल्प, निर्देश या आदेश के निष्पादन को प्रतिषिद्ध, विखण्डित या उपांतरित करने की शक्ति**
प्रभागीय वन अधिकारी किसी प्रबन्धन समिति द्वारा उनके किसी अधिकारी द्वारा पारित संकल्प, निर्देश या आदेश के निष्पादन को लिखित आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध, विखण्डित अथवा उपांतरित कर सकता है यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प, निर्देश या आदेश इस प्रकार का है जिससे जनता या लोकहित में रूकावट होती है, कष्ट होता है या क्षति होती पहुंचती है अथवा जो इस नियमावली के उपबन्धों के प्रतिकूल है।
- 50. अधिकारियों द्वारा प्रबन्धन समिति की कार्यप्रणाली का निरीक्षण**
(1) जिलाधिकारी, पगरना मजिस्ट्रेट, प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी अपने सम्बन्धित कार्यक्षेत्र के ग्राम वनों तथा प्रबन्धन समिति की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करेंगे एवं समय-समय पर इसके कार्यों की समीक्षा

करेंगे।

- (2) इस निरीक्षण आख्याओं की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी को भेजी जायेगी जिस पर वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह उचित समझे।

51. सांसद एवं विधायकों आदि द्वारा ग्राम वन एवं प्रबन्धन समिति की कार्यप्रणाली का निरीक्षण।

सांसद, विधान सभा के सदस्य एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत उस क्षेत्र जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हों के भीतर किसी पंचायती वन (ग्राम वन) या प्रबन्धन समिति की कार्यप्रणाली के निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होंगे।

52. क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति का गठन

क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के कुल 13 सदस्य होंगे। इस समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :-

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. क्षेत्रीय समन्वयक | अध्यक्ष | एक |
| 2. क्षेत्र में से चयनित सरपंच | सदस्य | छः |
| 3. परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सरपंच | सदस्य | चार |
| 4. परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी से अनिम्न) | सदस्य | एक |
| 5. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित वनक्षेत्राधिकारी। | सदस्य | सचिव एक |

क्षेत्र के प्रबन्धन समितियों के सरपंच क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के गठन हेतु अपने में से सात सदस्यों का चयन करेंगे। इस चयन हेतु परगना मजिस्ट्रेट किसी राजपत्रित अधिकारी को नामांकित कर क्षेत्र के अन्तर्गत गठित समस्त प्रबन्धन समितियों के सरपंचों की बैठक आहूत करवाकर चयन प्रक्रिया पूर्ण करवायेंगे।

चार सदस्यों का नामांकन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा, जिनमें से दो पुरुष एवं दो महिला सरपंच होंगे। इन चार नामांकित सदस्यों में से एक पुरुष व एक महिला सरपंच अनुसूचित जाति/जनजाति की होंगी। यदि प्रबन्धन समितियों में महिला सरपंच उपलब्ध न हों तो यह नामांकन प्रबन्धन समितियों के सदस्यों में से किया जासकेगा।

क्षेत्रीय समिति के चयनित एवं नामांकित 11 सदस्य अपने में से परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित राजपत्रित अधिकारी के पर्यवेक्षण में क्षेत्रीय समन्वयक (अध्यक्ष) का चयन करेंगे। परगना मजिस्ट्रेट तथा प्रभागीय

वनाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में नामित अधिकारी को, क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष के चयन हेतु मतदान का अधिकार नहीं होगा। क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति का गठन उसी दशा में किया जायेगा जब क्षेत्र में पड़ने वाले आधे से अधिक ग्रामों में ग्राम वन एवं प्रबन्धन समितियां गठित हो जायें।

53. जिला परामर्शदात्री समिति का गठन

प्रत्येक ऐसे जनपद में जिसमें नियम 3 से 9 के अधीन ग्राम वन/पंचायती वन और प्रबन्धन समिति का गठन हुआ हो एक जिला ग्राम वन परामर्शदात्री समिति का गठन किया जायेगा, जिसको आगे चलकर परामर्शदात्री समिति कहा गया है। परामर्शदात्री समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

1. जिला समन्वयक अध्यक्ष
2. जनपद के समस्त क्षेत्रीय समन्वयक सदस्य
3. जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी सदस्य
से अनिम्न अधिकारी
4. जिले के प्रभागीय वनाधिकारियों में से वन संरक्षक द्वारा नामित प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य सचिव क्षेत्रीय समन्वयक अपने में से जिला परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष, जिला परामर्शदात्री समिति अर्थात् जिला समन्वयक का चयन करेंगे। यह चयन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के पर्यवेक्षक में उसी प्रकार सम्पन्न किया जायेगा जैसा कि ग्राम स्तर पर सरपंच चयन हेतु धारा-3 से 9 प्राविधानित किया गया है।

जिला परामर्शदात्री समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी।

54. राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति

राज्य स्तर पर ग्राम वनों के प्रबन्धन की समीक्षा एवं नीति निर्धारण हेतु राज्य परामर्शदात्री समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :-

1. वन मंत्री अध्यक्ष
2. जिला परामर्शदात्री समितियों के समस्त सदस्य
जिला समन्वयक
3. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, सदस्य
उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन सदस्य
5. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड। सदस्य

6. प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत) सदस्य सचिव इस समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार यथासम्भव माह मई अथवा जून में आहूत की जायेगी, जिसमें ग्राम वनों के प्रबन्धन एवं नीति निर्धारण सम्बन्धी समस्त बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी।
55. राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति, जिला परामर्शदात्री समिति एवं क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति में उल्लिखित जिला समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं नामित महिला एवं पुरुष सरपंच/प्रबन्धन समिति सदस्य का कार्यकाल उसी अवधि तक रहेगा, जिस अवधि के लिए ग्राम विशेष की-आम सभा द्वारा उनको समन्वयक/प्रबन्धन समिति सदस्य के रूप में चयन किया गया है।
56. अविश्वास प्रस्ताव द्वारा क्षेत्रीय समन्वयक/जिला समन्वयक को हटाया जाना
यदि सम्बन्धित क्षेत्रीय/जिला परामर्शदात्री समिति के सरपंच/क्षेत्रीय समन्वयक अपने कार्यक्षेत्र के क्षेत्रीय समन्वयक/जिला समन्वयक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहें तो कम से कम एक तिहाई सरपंचों/क्षेत्रीय समन्वयकों जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जिलाधिकारी/परगनाधिकारी को अग्रिम सूचना देकर यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव लाये जाने के पश्चात परगना मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी उसी दशा में क्षेत्रीय समन्वयक/जिला समन्वयक को हटा सकेंगे, जब यह अविश्वास प्रस्ताव कम से कम दो तिहाई मत से पारित हो जाये।
57. जिला परामर्शदात्री समिति तथा क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के कर्तव्य
जिला परामर्शदात्री समिति तथा क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के अपने-अपने कार्यक्षेत्र के कर्तव्य निम्नवत होंगे :-
(क) प्रबन्धन समिति के कार्यों की समीक्षा।
(ख) ग्राम वनों की स्थिति सुधारने हेतु मार्गनिर्देश जारी करना।
(ग) प्रबन्धन समितियों को विभिन्न स्रोतों से धन की व्यवस्था करने में सहायता करना।
(घ) प्रबन्धन समिति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करना।
58. सभी वर्तमान पंचायती वन/वन पंचायतें जो इस नियमावली के लागू होने से पूर्व शैड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1974 के अधीन बनाये गये हों या कुमाऊं पंचायत फॉरेस्ट रुल्स के अधीन गठित किये गये हों या टिहरी

राज्य प्रान्त पंचायती विधान सं०—11938 के अधीन गठित किये हों या पंचायती वन नियमावली, 1976 या पंचायती वन नियमावली, 2001, 2005 अथवा 2012 के अधीन गठित किये गये हों, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से इस नियमावली के अधीन यथाविधि गठित और कार्य कर रही समझी जायेगी।

आज्ञा से


(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव

संख्या – 705 (1) / X-2-2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त उत्तरांचल।
- (3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
- (4) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल नैनीताल।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, नरेन्द्र नगर।
- (6) समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तरांचल।
- (7) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- (8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- (9) निदेशक, राजकीय मुद्र पालय, उत्तरांचल, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया विज्ञप्ति को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की सात हजार प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (10) महालेखाकार, उत्तरांचल प्रकोष्ठ इलाहाबाद।
- (11) समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक उत्तरांचल।
- (12) निदेशक कोषागार, उत्तरांचल।
- (13) समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत/जिला पंचायत अधिकारी, उत्तरांचल।
- (14) समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
- (15) समस्त प्रमुख, क्षेत्र पंचायतें, उत्तरांचल।
- (16) भारतीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0)।
- (17) गार्ड फाइल (ए)।

आज्ञा से



(बी0पी0गुप्ता)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या-1278(2)/X-2-2012-20(1)/2005
देहरादून : दिनांक, 17 सितम्बर 2012
विज्ञापित / अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 76 सपठित धारा 28 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2005 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड पंचायती वन (संशोधन) नियमावली, 2012

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायती वन (संशोधन) नियमावली, 2012 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम 7 (ख) का संशोधन 2. उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2005 जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, के मूल नियम 7 (ख) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1
वर्तमान नियम

7. (ख) जब प्रबन्धन समिति का यथाविधि गठन हो जाय तो वे अपने में से बहुमत द्वारा सरपंच चयन करेंगे। गठन प्रक्रिया समाप्त होने पर परगना मजिस्ट्रेट सदस्यों एवं सरपंच का नाम वन पंचायत रजिस्टर

स्तम्भ - 2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

7. (ख) प्रदेश में वन पंचायत सरपंचों के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। नियम-7(1) (क) के अनुसार प्रबन्धन समिति का यथाविधि गठन हो जाये तो वे अपने में से बहुमत द्वारा सरपंच का चयन करेंगे, सरपंच के 50 प्रतिशत पद पर महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में गठित प्रत्येक वन

में दर्ज करेगा और उनके हस्ताक्षर उक्त रजिस्टर में प्राप्त करेगा।

पंचायत प्रबन्धन समिति में एक बार महिला तथा एक बार पुरुष सरपंचों का चयन किया जायेगा। सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत गठित/पुर्नगठित होने वाली वन पंचायतों में महिला व पुरुष सरपंच के चयन का रोस्टर अभिलिखित कर सम्बन्धित ग्राम में प्रचारित करेगा। गठन प्रक्रिया समाप्त होने पर उपजिलाधिकारी सदस्यों एवं सरपंच के नाम वन पंचायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और उनके हस्ताक्षर उक्त रजिस्टर में प्राप्त करेगा।

नियम 11 का संशोधन 3

मूल नियमावली के नियम 11 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ -1 वर्तमान नियम

- 11 प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम वनों/पंचायती वनों के लिये पांच वर्ष की अवधि के लिये एक संहत प्रबन्ध योजना बनायेगा और इसे सम्बन्धित वन संरक्षक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा एवं वन संरक्षक बिना संशोधन के अथवा संशोधन के अथवा संशोधन सहित 60 दिनों के अन्दर अपना अनुमोदन देगा।

स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

11. प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम वनों/पंचायती वनों के लिये पांच वर्ष की अवधि के लिये एक संहत प्रबन्ध योजना बनायेगा। संहत प्रबन्ध योजना में वन पंचायतों को ग्राम पंचायतों से जोड़ने बावत वन क्षेत्रों में वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण कार्यों को भी समाहित किया जायेगा और इसे सम्बन्धित वन संरक्षक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा एवं वन संरक्षक बिना संशोधन के अथवा संशोधन सहित 60 दिनों के अन्दर अपना अनुमोदन देगा।

नियम 15 (ग) का संशोधन 4

मूल नियमावली के नियम 15(ग) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ -1
वर्तमान नियम

15 (ग) यदि किसी अपरिहार्य कारण से प्रबन्धन समिति का कार्यकाल खत्म हो जाये और नयी प्रबन्धन समिति का गठन न हो सके तो कलेक्टर को उक्त प्रबन्धन समिति का कार्यकाल 6 मास हेतु बढ़ाने की शक्ति होगी और कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त विस्तारित अवधि में प्रबन्धन समिति का गठन हो जाये।

स्तम्भ - 2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

15 (ग) यदि किसी अपरिहार्य कारण से प्रबन्धन समिति का कार्यकाल खत्म हो जाये और नयी प्रबन्धन समिति का गठन न हो सके तो कलेक्टर को उक्त प्रबन्धन समिति का कार्यकाल 6 मास हेतु बढ़ाने की शक्ति होगी और कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त विस्तारित अवधि के प्रथम 3 मास के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति के गठन हेतु चुनाव की पूर्ण तैयारी शुरू कर दी है और प्रत्येक दशा में विस्तारित अवधि में ही प्रबन्धन समिति का गठन हो जाये।

आज्ञा से

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्या— (1)/X-2-2012-20(1)/2005, तंदिनांकित

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्र पालय, उत्तराखण्ड रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे विज्ञप्ति/अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की एक हजार प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(एस0 रामास्वामी)

प्रमुख सचिव

संख्या 1278(2)/X-2-2012-20(1)/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (A&E), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
7. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
11. मंडलायुक्त, कुमाँम डल नैनीताल/गढ़वाल मंडल, पौड़ी।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
14. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड।
16. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत/जिला पंचायत अधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. समस्त प्रमुख क्षेत्र पंचायतें, उत्तराखण्ड।
18. भारतीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुशान्त पटनायक)

अपर सचिव